

राजस्थान-सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 06/2025

पंजीकरण क्रमांक :- 2025/10

बउनवान

राकेश आयु 48वर्ष पुत्र श्री बृजमोहन मीणा निवासी उम्मेदगंज तह. अटरू जिला बारों(राज.)

(अपीलांत)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, कवाई जिला बारों

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :- 1- श्री चंद्रदीप सिंह अभिभाषक

(अपीलांत)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 25.04.2025

अपीलांत ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 151/2024 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2024 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत को वाके ग्राम दिलोदहाथी की सरकारी भूमि किस्म बंजड सम्वत् 2081 में खसरा नम्बर 51 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नं. 52 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 53 रकबा 0.04 हेक्टर किता 3 रकबा 0.40 हे. भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 03 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 200/- रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 11.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**अपीलांत के अभिभाषक** ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से खारिज होने योग्य है। उक्त अतिक्रमी आराजी अपीलांत की खातेदारी की आराजी से लगवा भूमि है जिस पर अपीलांत काबिज काश्त करता चला आ रहा है और प्रतिवर्ष जुर्माना जमा करता है। अपीलांत उक्त आराजी पर कब्जा छोड़ने को तत्पर है। अपीलांत अनपढ व्यक्ति है। नियमों की जानकारी नहीं है। वर्तमान में उक्त विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और भविष्य में कभी कब्जा नहीं करुंगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2024 प्रकरण संख्या 151/2024 न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई बउनवान सरकार बनाम राकेश कार्यवाही धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म बंजड पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट अतिक्रमी के नाम नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा सम्वत् 2081 में अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपीलांट अनपढ एवं गरीब व्यक्ति है जिसे नियमों की जानकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अतिक्रमी द्वारा सम्वत् 2080 में किए गए अतिक्रमण के संबंध में संबंधित पत्रावली के मिसल नं. एवं निर्णय दिनांक अंकित नहीं किए जाने से पश्चात्पूर्ति अतिक्रमी होना साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 151/2024 में अन्तर्गत एल. आर.एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि अपीलांट विवादित आराजी वाके ग्राम दिलोदहाथी के किस्म बंजड सम्वत् 2081 में खसरा नम्बर 51 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नं. 52 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 53 रकबा 0.04 हेक्टर किता 3 रकबा 0.40 हे. भूमि से स्वयं का कब्जा हटाकर नायब तहसीलदार, कवाई के समक्ष अन्दर एक माह में शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि मेरे द्वारा उक्त विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है, वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा कब्जा नहीं है एवं भविष्य में भी उक्त राजकीय भूमियों पर कब्जा नहीं करूंगा। प्रकरण में नायब तहसीलदार, कवाई अथवा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से विवादित भूमि की मौका स्थिति की जांच करवाये। यदि उक्त विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना नहीं पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 151/2024 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2024 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक **25.04.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )  
अति० जिला कलक्टर  
बारों